# झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

## आपराधिक विविध याचिका संख्या 3518/2022

---

1. हाजी रफीउद्दीन अंसारी उर्फ रफीउद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 76 वर्ष, कासिम अंसारी के पुत्र, मस्जिद मोहल्ला, चकला, डाकघर- और थाना-ऑरमांझी, जिला-रांची।

2. रिजवान अंसारी, उम्र लगभग 53 वर्ष, हाजी रफीउद्दीन अंसारी उर्फ रफीउद्दीन अंसारी के पुत्र, मस्जिद मोहल्ला, चकला, डाकघर- और थाना-ऑरमांझी, जिला-रांची। ... याचिकाकर्ता

***विरुद्ध***

1. झारखंड राज्य

2. सनी कुमार, श्री मधुकर सिंह का पुत्र, मां तपो कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड के प्रतिनिधि, सिंहमोर, हटिया, डाकघर- हटिया, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-रांची ... प्रतिवादी

---

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री नवीन कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री साजिद युनूस, अधिवक्ता
श्री नसीम ए. खान, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री मनोज कुमार मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से : श्री सूरज सिंह, अधिवक्ता
श्री अक्षय कुमार, अधिवक्ता
श्री सुनील सिंह, अधिवक्ता

---

**<u>मौजूद</u>**

## माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

***न्यायालय द्वारा :-*** दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें 17.11.2021 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची ने धारा 406, 420 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए संज्ञान लिया था और ऑरमांझी थाना केस संख्या 181/2020 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो कि अब माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सूचना देने वाले/प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन संख्या 2217/2024 की ओर आकर्षित करते हैं, जो याचिकाकर्ता और सूचना देने वाले/प्रतिवादी संख्या 2 के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सामान्य दोस्तों और रिश्तेदारों की मध्यस्थता के कारण, पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए समझौते की बातचीत की गई थी और पक्षों ने आपस में एक समझौते पर पहुँच गए हैं और इस मामले को आगे बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि समझौते के अनुसार सूचना देने वाला इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विवाद मूलतः एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि समझौते के अनुसार सूचना देने वाले को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, इसलिए इस आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानून के दुरुपयोग के बराबर होगा क्योंकि समझौते के अनुसार याचिकाकर्ताओं की सजा के संभावनाएँ न्यून और मंद हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की गई है कि 17.11.2021 को पारित आदेश और ऑरमांझी थाना केस संख्या 181/2020 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में अब लंबित है, को रद्द और अमान्य किया जाए।

4. राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक का कहना है कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, राज्य को 17.11.2021 को पारित आदेश को रद्द करने और ऑरमांझी थाना केस संख्या 181/2020 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. बार में किए गए प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारबतभाई आहीर उर्फ पारबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूरे एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले में (2017) 9 SCC 641 में उच्च न्यायालय की धारा 482 के तहत अधिकारिता पर विचार किया, जिसमें पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लिया गया और पैराग्राफ संख्या 11 में इस प्रकार उल्लेख किया गया:

> *"**11.** धारा 482 एक प्रधान प्रावधान के साथ प्रारंभ होती है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, जो कि एक उच्च न्यायालय के रूप में ऐसी आदेश देने की आवश्यकता होती है (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। गियान सिंह [गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 SCC 303 : (2012) 4 SCC (Civ) 1188 : (2013) 1 SCC (Cri) 160 : (2012) 2 SCC (L&S) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस विषय पर मिसालों की चर्चा की और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जिन्हें उच्च न्यायालय को अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में FIR या शिकायत को रद्द करने पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उच्च न्यायालय को जो विचार करना चाहिए, वे हैं : (SCC पृष्ठ 342-43, पैरा 61)*
>
> > *"61. ... उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता में किसी आपराधिक कार्यवाही या FIR या शिकायत को रद्द करने की शक्ति, धारा 320 के तहत अपराधों के समझौते के लिए एक आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है, कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसे उस शक्ति में निहित मार्गदर्शकों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ऐसे मामलों में जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, अपराध प्रक्रिया या शिकायत या FIR को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने की परिस्थितियाँ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी और कोई विशेष श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, इस शक्ति के प्रयोग से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक पतन या हत्या, बलात्कार, डकैती जैसी गंभीर और क्रूरतम अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित का परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी स्वभाव के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, विशेष*

*अधिनियम जैसे भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम या सार्वजनिक सेवकों द्वारा काम करते समय किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आधार नहीं बन सकता। <u>लेकिन उन आपराधिक मामलों में जिनमें प्रमुख रूप से नागरिक स्वरूप हो, जैसे कि वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या ऐसे लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद, जहाँ गलतियाँ मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत स्वभाव की हैं और पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है, वे अलग स्थिति में होते हैं।</u> इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि इसका मानना है कि समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना दूर और मंद है और आपराधिक मामले की निरंतरता से आरोपी को बड़ा दबाव और अन्याय होगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूरी समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक प्रक्रिया की निरंतरता अन्यायकारी होगी या न्याय के हित के विपरीत होगी, और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त किया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।" (उल्लेखित)"*

6. रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध गंभीर अपराध नहीं हैं और मानसिक पतन का कोई गंभीर अपराध शामिल नहीं है, बल्कि इस मामले में शामिल अपराध पार्टियों के बीच निजी विवाद से संबंधित हैं।

7. अपराधियों और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की संभावना दूर और मंद है और आपराधिक मामले की निरंतरता से याचिकाकर्ताओं को बड़ा दबाव और अन्याय होगा और उन्हें पूर्ण और पूरी समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इस प्रकार, यह न्यायालय मानता है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार 17.11.2021 को पारित की गई माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची द्वारा ली गई संज्ञान की आदेश और ओरमांझी पी.एस. केस नंबर 181/2020 से संबंधित पूरी आपराधिक प्रक्रिया को रद्द और समाप्त किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची द्वारा 17.11.2021 को पारित की गई संज्ञान की आदेश और ओरमांझी पी.एस. केस नंबर 181/2020 से संबंधित पूरी आपराधिक प्रक्रिया को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द और समाप्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, यह सी.आर.एम.पी. स्वीकृत किया जाता है।

11. इस सी.आर.एम.पी. के निपटान के दृष्टिगत, I.A. नंबर 2217/2024 भी इसी अनुसार निपटाया गया।

**(अनिल कुमार चौधरी, जज)**

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 28 फरवरी 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**